छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 114/2006

श्री पवन सेन, **राज सेलून, बस स्टैण्ड,** **धमधा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)**	....	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

1. सुश्री रीना कंगाले, **अपील अधिकारी एवं** **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** **जिला विकास विभाग,** **दुर्ग (छत्तीसगढ़)**	....	**प्रतिअपीलार्थी**
2. सूचना अधिकारी, **जनपद पंचायत,** **धमधा जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)**		

:: आदेश ::

(03 अगस्त 2006)

श्री पवन सेन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को प्रस्तुत अपील में समयावधि में वांछित जानकारी न देने के कारण तथा बिना अपीलार्थी के सुनवाई किये अपील नस्तीबद्ध किये जाने के आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलीय अधिकाारी के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकारी जनपद पंचायत, धमधा के समक्ष दिनांक 13–01–2006 को कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कि महिला स्व–सहायता समूह को आवंटित राशन दुकानें तथा स्व–सहायता समूह को 75,000/– रूपए की राशि की सूची चाही गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील दिनांक 23–02–2006 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में उल्लेख किया है कि दिनांक 03–04–2006 को अपीलीय अधिकारी से भेंट की तथा अपना पक्ष प्रस्तुत किया। किन्तु अपीलार्थी ने बिना उसका पक्ष सुने अपील नस्तीबद्ध कर दी। अपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया है कि

अपीलार्थी को दिनांक 22–03–2006 को 4.00 बजे उपस्थित होने की सूचना भेजी गई थी। शासकीय राशन दुकान जिन महिला स्व–सहायता समूह को आबंटित किये गये तथा उन्हें 75,000/– रूपए दिये गये उनकी सूची जन सूचना अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। किन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। अपीलीय अधिकारी ने अपने टीप में अपील निरस्त करने का क्या आधार रहा, इसका उल्लेख नहीं किया है। केवल अपीलार्थी को पत्र दिनांक 23–03–2006 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग के द्वारा प्रस्तुत जानकारी दिनांक 30–01–2006 को भेजी जा चुकी है यह उल्लेख किया है। सूचना अधिकारी, जनपद पंचायत, धमधा के द्वारा राशन की दुकान से संबंधित जानकारी आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग से प्राप्त किये जाने हेतु सूचना दी गई। अपीलार्थी ने अपने तर्क में बतलाया कि जानकारी अपूर्ण है स्व–सहायता समूह के पंजीयन की जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से जानकारी बुलाकर अपीलार्थी को दिया जाना था।

मेरे द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने जो जानकारी चाही थी उसमें महिला स्व–सहायता समूह के पंजीयन की जानकारी, स्व–सहायता समूह के नामों की सूची एवं शासन द्वारा राशि प्रदान करने की जानकारी चाही थी, उसमें पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी चाही गई थी। सूचना अधिकारी के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि नहीं दी गई है।

अपीलार्थी का यह तर्क कि जन सूचना अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के द्वारा जानकारी बुलाकर दी जाना चाहिए, मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय पृथक है तथा उसके लोक प्राधिकारी भी कलेक्टर, दुर्ग हैं। अतः जन सूचना अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से जानकारी बुलाये जाने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 13–01–2006 को दिया तथा उसे जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 30–01–2006 को जानकारी डाक से भेजी। अतः समयावधि में जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी प्रदाय करने का प्रयास किया गया है। अपीलार्थी को यदि जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, तो वह जन सूचना अधिकारी से संपर्क कर सकता था। महिला स्व–सहायता समूहों को आबंटित राशन दुकानों की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के कार्यालय से अपीलार्थी प्राप्त कर सकता था, क्योंकि वही उसे देने हेतु सक्षम हैं।

अपीलार्थी को महिला स्व–सहायता समूहों के पंजीयन की जानकारी नहीं दी गई है। अतः जन सूचना अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग को उक्त जानकारी अपीलार्थी को 15 दिन के अंदर निःशुल्क दिये जाने का निर्देश दिया जाता है।

उक्त निर्देश के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त